मोहम्मद उस्मान

बनाम

बिहार राज्य

12 मार्च, 1968

[एस. एम. सिकरी, जे. एम. शेलट एवं वी. भार्गव, न्यायमूर्तिगण]

भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का अधिनियम 4), धारा 5(3)— अनुज्ञप्ति प्राप्त परिसरों में नाबालिगों को प्रवेश की अनुमति— धारा 5(3) की किस उपधारा के अंतर्गत दंडनीय।

विस्फोटक नियम, 1940, नियम 16— अनुज्ञप्ति प्राप्त परिसरों में नाबालिगों को प्रवेश की अनुमति— धारा 5(3) की किस उपधारा के अंतर्गत दंडनीय।

अपीलकर्ता, जो आतिशबाज़ी का निर्माता था, को भारतीय विस्फोटक अधिनियम की धारा 5(3) के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया गया, क्योंकि उसने आतिशबाज़ी के निर्माण में नाबालिगों को कार्य करने की अनुमति दी थी, जिससे विस्फोटक नियमों के नियम 16 का उल्लंघन हुआ।

अभिनिर्धारित: धारा 5(3) की उपधारा (क) उस व्यक्ति से संबंधित है जो नियमों के उल्लंघन में आयात करता है या निर्माण करता है; उपधारा (ख) उस व्यक्ति से संबंधित है जो किसी विस्फोटक को नियमों के उल्लंघन में अपने कब्जे में रखता है, उपयोग करता है, विक्रय करता है या परिवहन करता है; तथा उपधारा (ग) अन्य वादों में नियमों के उल्लंघन से संबंधित है। यदि किसी नियम का उल्लंघन होता है, तो प्रत्येक वाद में यह निर्धारित किया जाना आवश्यक है कि वह नियम या उसका कोई भाग धारा 5(3) की उपधारा (क) अथवा उपधारा

(ख) में उल्लिखित गतिविधियों से संबंधित है या नहीं। यदि वह नियम धारा 5(3) की उपधारा (क) अथवा (ख) में वर्णित किसी भी गतिविधि से संबंधित नहीं है, तो नियम का उल्लंघन धारा 5(3) की उपधारा (ग) के अंतर्गत आएगा। [430 ए बी; 431 एच]

वर्तमान वाद में, यद्यपि यह स्थापित किया गया कि नाबालिगों को नियोजित किया गया था अथवा उन्हें परिसर में प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी, परंतु यह सिद्ध नहीं किया जा सका कि नाबालिगों को धारा 5(3) की उपधारा (क) अथवा (ख) में वर्णित किसी भी गतिविधि में नियोजित किया गया था। यह भी सिद्ध नहीं हुआ कि उस दिन आतिशबाज़ी का कोई निर्माण कार्य किया गया था। अतः पाए गए तथ्यों के आधार पर नियम 16 का उल्लंघन केवल धारा 5(3) की उपधारा (ग) के अंतर्गत ही दंडनीय हो सकता है।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार : 1965 की आपराधिक अपील संख्या 134

पटना उच्च न्यायालय द्वारा सरकारी अपील संख्या 25 सन् 1962 में दिनांक 14 मई, 1965 को पारित निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध विशेष अनुमति से अपील।

अपीलकर्ता की ओर से, नूर-उद-दीन अहमद एवं ए. के. नाग

उत्तरदाता की ओर से डी. पी. सिंह, अनिल कुमार एवं शिवपूजन सिंह

न्यायालय का निर्णय

न्यायमूर्ति सिकरी द्वारा दिया गया: यह विशेष अनुमति से दायर अपील पटना उच्च न्यायालय के उस निर्णय के विरुद्ध है, जिसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए अपीलकर्ता मोहम्मद उस्मान को भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का अधिनियम 4) — जिसे आगे "अधिनियम" कहा गया है — की धारा 5(3)(क) के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया गया तथा उसे दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹2,000 का जुर्माना, जुर्माना न

अदा करने की स्थिति में अतिरिक्त छह माह का सश्रम कारावास भुगतने का दंड दिया गया। तथापि, उच्च न्यायालय ने दंडाधिकारी के इस निष्कर्ष से सहमति व्यक्त की कि अपीलकर्ता को भा.दं.सं की धारा 304-क के अंतर्गत दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उच्च न्यायालय ने अन्य दो अभियुक्तों, अब्दुल रहमान एवं अब्दुल अज़ीज़, को दोषी नहीं पाया तथा उनके विरुद्ध राज्य की अपीलें खारिज कर दी गईं।

अभियोजन का संक्षिप्त वाद यह है कि दिनांक 28 अप्रैल, 1960 को अपीलकर्ता के मटकुरिया, थाना धनबाद स्थित कारखाने में एक विस्फोट हुआ। इस विस्फोट के परिणामस्वरूप काशी भक्त, गोबर्धन भोक्ता तथा मोहन बौर की मृत्यु हो गई। उस दिन अपीलकर्ता, जो आतिशबाज़ी का निर्माण करता था, ने 16 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों, अर्थात काशी भोक्ता, गुही भोक्ता, गोबर्धन तथा सुभाष चमार को आतिशबाज़ी के निर्माण कार्य में लगाने की अनुमति दी थी, जिससे उसने विस्फोटक नियम, 1940 के नियम 16 का उल्लंघन किया। उक्त नियम, जिन्हें आगे "नियम" कहा गया है, अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए हैं। इस प्रकार अपीलकर्ता ने अधिनियम की धारा 5(3)(क) के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया। उच्च न्यायालय ने, वादों की सुनवाई करने वाले दंडाधिकारी से असहमति व्यक्त करते हुए, यह माना कि "तीन नाबालिग लड़के—काशी, गुही तथा सुभाष—को नियोजित किया गया था और गोबर्धन को, किसी भी स्थिति में, विस्फोटकों के निर्माण हेतु नियमों के अंतर्गत अनुज्ञप्ति प्राप्त परिसरों में प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी", जो नियम 16 का उल्लंघन है, और पूर्व में वर्णित अनुसार अपीलकर्ता को दोषसिद्ध ठहराया।

अधिनियम की धारा 5(3) इस प्रकार है :—

"इस धारा के अंतर्गत बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने वाला
कोई भी व्यक्ति दंडनीय होगा—

(क) यदि वह ऐसे उल्लंघन में किसी विस्फोटक का आयात करता है या निर्माण करता है, तो उसे ऐसे कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती है, या ऐसे जुर्माने से जिसकी राशि पाँच हजार रुपये तक हो सकती है, या दोनों से;

(ख) यदि वह ऐसे उल्लंघन में किसी विस्फोटक को अपने कब्जे में रखता है, उपयोग करता है, विक्रय करता है या परिवहन करता है, तो उसे ऐसे कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकती है, या ऐसे जुर्माने से जिसकी राशि तीन हजार रुपये तक हो सकती है, या दोनों से; तथा

(ग) अन्य किसी वादों में, ऐसे जुर्माने से जिसकी राशि एक हजार रुपये तक हो सकती है।”

विस्फोटक नियमों का नियम 16 इस प्रकार प्रावधान करता है :—

“16. बच्चे और नशे की अवस्था में व्यक्ति— 16 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को तथा किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो नशे की अवस्था में हो, विस्फोटकों की लोडिंग, अनलोडिंग या परिवहन में नियोजित नहीं किया जाएगा, और न ही उसे इन नियमों के अंतर्गत अनुज्ञप्ति प्राप्त किसी भी परिसर में नियोजित किया जाएगा अथवा प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी।”

प्रथम प्रश्न जो उत्पन्न होता है, वह यह है कि क्या नियम 16 का प्रत्येक उल्लंघन अधिनियम की धारा 5(3)(क) के अंतर्गत आता है। हमारे विचार में, इसका उत्तर नकारात्मक है। यह ध्यान देने योग्य है कि धारा 5(3) की उपधारा (क) उस व्यक्ति से संबंधित है जो नियमों के उल्लंघन में आयात करता है या निर्माण करता है; उपधारा (ख) उस व्यक्ति से संबंधित है जो नियमों के उल्लंघन में किसी विस्फोटक को अपने कब्जे में रखता है, उपयोग करता है, विक्रय करता है या परिवहन करता है; तथा उपधारा (ग) अन्य वादों में नियमों के उल्लंघन से संबंधित है। हमें प्रतीत होता है कि इस उपधारा की योजना यह है कि नियमों के उल्लंघन को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाए। पहली श्रेणी में वे नियम आते हैं जिनका पालन किसी व्यक्ति को आयात या निर्माण करते समय करना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में, विस्फोटकों के आयात या निर्माण से संबंधित नियम पहली श्रेणी में आएँगे। उदाहरण के लिए, अपीलकर्ता को जारी किए गए अनुज्ञप्ति की शर्त संख्या 11 यह प्रावधान करती है :—

> "किसी भी एक भवन या तंबू में, जिसमें विस्फोटक का निर्माण किया जा रहा हो, एक समय में चार से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जाएगी, और केवल वे व्यक्ति जो वास्तव में निर्माण कार्य में नियोजित हों या निर्माण की निगरानी कर रहे हों, उन्हें निर्माण स्थल के भीतर प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी।"

अनुज्ञप्ति की शर्त 12 इस प्रकार प्रावधान करती है :—

> "निर्माण कार्य में लोहे या इस्पात के किसी भी उपकरण का उपयोग नहीं किया जाएगा। केवल ताँबे की गन-मेटल या लकड़ी के औज़ार ही अनुमन्य होंगे।"

अब, यदि अपीलकर्ता ने इन शर्तों का उल्लंघन किया होता, तो यह कहा जा सकता था कि ऐसा उल्लंघन अधिनियम की धारा 5(3)(क) के अंतर्गत आता। यह उल्लेखनीय है कि नियम 81 यह प्रावधान करता है कि— "कोई भी विस्फोटक इन नियमों के अंतर्गत प्रदत्त अनुज्ञप्ति की शर्तों के अधीन तथा उसके अनुसार ही निर्मित, कब्जे में रखा, उपयोग किया या बेचा जाएगा",और अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन नियम 81 का उल्लंघन होगा। परन्तु यदि अपीलकर्ता ने अपने अनुज्ञप्ति की शर्त 2 का उल्लंघन किया होता—जिसके अंतर्गत उसका अनुज्ञप्ति 25 पौंड आतिशबाज़ी के निर्माण, कब्ज़े तथा विक्रय के लिए है—जो यह निर्धारित करती है कि विस्फोटकों को परिसरों में किस प्रकार रखा जाएगा, अर्थात —"(क) ईंट, पत्थर या कंक्रीट से पर्याप्त रूप से निर्मित भवन में, या सुरक्षित रूप से निर्मित अग्निरोधक तिजोरी में; अथवा (ख) ठोस चट्टान या मिट्टी में बनाए गए गड्ढे में ......", तो वह धारा 5(3)(ख) के अंतर्गत दोषी होता, न कि धारा 5(3)(क) के अंतर्गत। इसी प्रकार, शर्त 18 का उल्लंघन—जो यह प्रावधान करती है कि— "इस अनुज्ञप्ति के अंतर्गत विस्फोटकों की सभी बिक्री अनुज्ञप्ति के मुखपृष्ठ पर वर्णित धारा 5(3)(ख) के अंतर्गत परिसरों में ही की जाएगी और किसी भी 16 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को विस्फोटक नहीं बेचा जाएगा",

अपीलकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि उच्च न्यायालय द्वारा स्थापित तथ्यों के आधार पर अपीलकर्ता को धारा 5(3)(क) के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाना संधारणीय नहीं है। उनका कहना है कि न तो ऐसा कोई निष्कर्ष है और न ही कोई साक्ष्य कि चारों नाबालिग आतिशबाज़ी के निर्माण में लगे हुए थे या निर्माण प्रक्रिया में भाग ले रहे थे। हमने साक्ष्यों का अवलोकन किया है और पाते हैं कि कोई भी साक्षी यह नहीं कहता कि इन नाबालिग लड़कों को अपीलकर्ता द्वारा आतिशबाज़ी के निर्माण के लिए नियोजित किया गया था। सुभाष चमार, अभियोजन साक्षी 1, कहता है कि वह "उस समय मटकुरिया स्थित विस्फोटक कार्यशाला

में काम कर रहा था, जो उस्मान की थी ... हम सामान्य ढंग से उसी स्थान पर काम कर रहे थे जब यह घटना हुई।" पुरण भोक्ता, अभियोजन साक्षी 2, जो काशी और गोबर्धन का पिता है, यह कहता है कि उसके सभी पुत्र "मटकुरिया स्थित उस्मान की विस्फोटक कार्यशाला में काम करते थे।" किन्तु वह हमें उनके कार्य के स्वरूप के बारे में कोई जानकारी नहीं देता। गुही भोक्ता, अभियोजन साक्षी 8, केवल यह कहता है कि "लगभग 18 महीने पूर्व, एक गुरुवार को, मैं मटकुरिया गाँव की विस्फोटक दुकान में अभियुक्त रहमान की निगरानी में काम कर रहा था।" इस बिंदु पर अन्य कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इन साक्ष्यों से यह निश्चित रूप से निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि 28 अप्रैल, 1960 को चारों नाबालिग वास्तव में विस्फोटकों के निर्माण में नियोजित थे। वास्तव में, इस बात का भी कोई साक्ष्य नहीं है कि उस दिन कोई आतिशबाज़ी का निर्माण किया जा रहा था। अभियोजन पर यह दायित्व था कि वह अपराध के सभी अवयवों को सिद्ध करे, और साक्ष्य अधिनियम की धारा 106, जैसा कि राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया, अभियोजन को उसके इस दायित्व से मुक्त नहीं करती।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि नियम 16 का उल्लंघन हुआ है, क्योंकि चारों नाबालिगों को नियमों के अंतर्गत अनुज्ञप्ति प्राप्त परिसरों में नियोजित किया गया था या प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी। परन्तु नियम 16 एक व्यापक नियम है और यह परिसरों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए नाबालिगों के नियोजन पर लागू होता है—चाहे वह विस्फोटकों का निर्माण हो या उनका विक्रय। यह नियम किसी नाबालिग को फर्श साफ़ करने या परिसर की सफ़ाई बनाए रखने के लिए नियोजित करने पर भी लागू होगा।

यदि किसी नाबालिग को केवल परिसर की सफ़ाई के लिए नियोजित किया गया हो, तो क्या ऐसा उल्लंघन धारा 5(3)(क), धारा 5(3)(ख) या धारा 5(3)(ग) के अंतर्गत आएगा? हमारे विचार में, यदि धारा 5(3)(क) और (ख) की व्यापक व्याख्या इस प्रकार की जाए कि वे परिसर

में होने वाली प्रत्येक गतिविधि को समाहित कर लें, तो धारा 5(3)(ग) निरर्थक हो जाएगी। क़ानून की ऐसी व्याख्या अनुमन्य नहीं है। यह ध्यान देने योग्य है कि विधायिका धारा 5(3)(क) के अंतर्गत अपराध को धारा 5(3)(ख) की अपेक्षा अधिक गंभीर मानती है और धारा 5(3)(ख) के अंतर्गत अपराध को धारा 5(3)(ग) की अपेक्षा अधिक गंभीर मानती है। इसके अतिरिक्त, नियमों की संख्या बहुत अधिक है; कुछ नियम गौण विषयों को नियंत्रित करते हैं, और प्रत्येक नियम के उल्लंघन को धारा 5(3)(क) या (ख) के अंतर्गत रखना निरर्थक होगा।

हमारे मत में, यदि किसी नियम का उल्लंघन हुआ है, तो प्रत्येक वाद में यह निर्धारित किया जाना आवश्यक है कि वह नियम या उसका कोई भाग धारा 5(3)(क) या धारा 5(3)(ख) में उल्लिखित गतिविधियों से संबंधित है या नहीं। यदि वह धारा 5(3)(क) या (ख) में उल्लिखित किसी भी गतिविधि से संबंधित नहीं है, तो उस नियम का उल्लंघन धारा 5(3)(ग) के अंतर्गत आएगा।

वर्तमान वाद में अभियोजन यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि चारों नाबालिग धारा 5(3)(क) या धारा 5(3)(ख) में उल्लिखित किसी भी गतिविधि में नियोजित थे। यह भी सिद्ध नहीं किया गया है कि 28 अप्रैल, 1960 को आतिशबाज़ी का कोई निर्माण हुआ था। अतः स्थापित तथ्यों के आधार पर नियम 16 का उल्लंघन केवल धारा 5(3)(ग) के अंतर्गत ही आ सकता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय द्वारा किए गए तथ्यात्मक निष्कर्षों को चुनौती दी, परन्तु हमारे मत में वे किसी भी प्रकार से दूषित नहीं हैं।

परिणामस्वरूप, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। दोषसिद्धि को अधिनियम की धारा 5(3)(ग) के अंतर्गत परिवर्तित किया जाता है और अपीलकर्ता को 1,000 रुपये का जुर्माना अदा करने का दंड दिया जाता है तथा जुर्माना अदा न करने की स्थिति में तीन माह का सश्रम कारावास भुगतना होगा। यदि कोई अतिरिक्त जुर्माना अदा किया गया हो, तो उसे वापस किया जाएगा।

वाई. पी. अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।